RESEARCH PAPER

RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
e-ISSN: 2455-3085 | Vol.06 | No.12 | December2021 | pp. 43-49
Double-Blind Peer Reviewed/Refereed Journal

Pandit Deen Dayal Upadhyaya Yojana for the Last People of India: Objectives, Features and Benefits

पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना, भारत के अंतिम लोगों के लिए : उद्देश्य, विशेषताएँ एवं लाभ

[1]Jyoti Kumari, [2]Amar Kant Singh, [3]Rajendra Thakur & [*4]Anil Kumar

[1]Research Scholar, P.G. Department of History, TMBU, Bhagalpur
[2]Prof.-cum-Principal, Morarka College, Sultanganj, TMBU, Bhaglapur
[3]Retd. Principal & HOD, Department of Philosophy, CMB College, Gogadia, LNMU, Darbhanga.
[4]Asst. Prof., HOD, P.G Department Chemistry, Sahibganj College, Sahibganj, SKMU, Dumka

Abstract in English

The schemes of Pandit Deendayal Upadhyay ji have been established for the development of the people of entire India. And the Government of India is determined for their acid. All the plans are for the golden and development of India for the multi-dimensional purpose. And the information about these schemes is very important for the youth of every class, people of particular community. So that by taking advantage of them, everyone can be taken forward towards social development. Through his schemes, providing employment to the unemployed youth of India, providing training for self-employment, providing housing, providing proper electricity system, improving education and health system, increasing opportunities for comprehensive development and all other schemes are to be benefitted. The main objective of these schemes is to reduce urban and rural poverty by increasing livelihood opportunities through development, skill development and other measures.

Keywords: *Market Oriented Skills Scheme, Village Industries Employment, Elimination of Child Labor, Health Education, World Market*

Abstract in Hindi

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की योजनाएँ संपूर्ण भारतवर्ष के लोगो के विकास के लिए स्थापित की गई है । एवं भारत सरकार इनके अम्ल के लिए दृढ़ संकल्पित है। सभी योजनाएँ बहु आयामी उद्देश्य के लिए भारत के स्वर्णिम एवं विकास हेतु अग्रसर है। और इन योजनाओं की जानकारी प्रत्येक वर्ग के युवकों, विशेष समुदाय के लोगो के लिए अत्यंत आवश्यक है। ताकि इनका लाभ उठाकर हर एक को सामाजिक विकास की ओर अग्रसारित किया जा सके। उनकी योजनाओं की माध्यम से भारत के युवा बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराने, स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने आवास उपलब्ध कराने, समुचित बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराने शिक्षा एवं स्वास्थय व्यवस्था सुधारने, व्यापक विकास के अवसरों को बढ़ाने एवं तमाम अन्य योजनाओं के द्वारा सबों को लाभांवित किया जाना है । इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य विकास कौशल विकास एवं अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्वि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है।

मुख्य शब्द: *बाजार उन्मुख कौशल योजना, ग्रामद्योग रोजगार, बालश्रम मिटाना, स्वास्थय शिक्षा, विश्व बाजार*

Article Publication

Published Online: 15-Dec-2021

***Author's Correspondence**

Anil Kumar

Asst. Prof., HOD, P.G Department Chemistry, Sahibganj College, Sahibganj, SKMU, Dumka

anilkumar_ism[at]yahoo.com

© 2021The Authors. Published by RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary.This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

परिचय :

भारत के आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, भारत के अंतिम लोगों के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय के विभिन्न योजनाएँ जैसे 1. पंडित दीन दयाल उपाध्याय चालित अस्पताल योजना, (जून, 2006 से लागू) 2. पंडित दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय उपचार योजना (25 सितम्बर, 2004) 3. पंडित दीन दयाल स्वरोजगार योजना (04 अगस्त, 2004) 4. पंडित दीन दयाल समर्थ योजना (25 सितम्बर, 2004) 5. पंडित दीन दयाल अन्तोदय अन्न योजना (2011), 6. पंडित दीन दयाल रसोई योजना (07 अप्रैल, 2007), 7. पंडित दीन दयाल ग्रामीण कौशल योजना (25 सितम्बर, 2014), 8. पंडित दीन दयाल गोकुल ग्राम योजना (25 सितम्बर, 2014), 9. पंडित दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना (2014), 10. पंडित दीन दयाल श्रमेव जयते कार्यक्रम

(16 अक्टूबर, 2014), 11. पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना (2016), 12. पंडित दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना, (1999 शुरू, 2018 में संशोधन),13. उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामद्योग रोजगार योजना (2017), 14. उत्तराखण्ड पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना (14 फरवरी, 2019), 15. राजस्थान पंडित दीन दयाल वरिष्ट नागरिक तीर्थ यात्रा योजना (2018), को पहुँचाने के लिए दृढ़ संकलपित हैं।

उपर्युक्त योजना बहुआयामी उद्देश्य लिए हुए, लघु कुटीर उद्योग, व्यापार, गरीब, बूढ़े, नवयुवक आदि के लिए है। गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी, ग्रामीण, शहरी युवाओं की उत्पादक क्षमता, युवा रोजगार, सहायता राशि, खुद का कारोबार, विदयुतीकरण, सभी क्षेत्रों में बिजली, बहुराष्ट्रीय कम्पनी के लिए नई दरवाजा, नई प्रक्रिया, नई सोच, कुशल मजदूरी योजना, शहरी बेघर के लिए उचित उपाय, बाजारोन्मुख, योजना कौशल में प्रशिक्षण, निराश्रय के लिए आश्रय, बुनियादी दाँचे की स्थापना, श्रमिकों की समस्याओं को श्रमिकों की आँखों में देखना, स्वरोजगार के लिए अवसर खोजना, विकलांग/दिव्यांग, लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय के अवसर प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बेराजगारों के लिए रोजगार, किसान कल्याण योजना, कृषि ऋण योजना, मिश्रित खेती, बुजुर्गो के लिए दवाई योजना आदि पंडित दिन दयाल उपाध्याय के योजनाओं का एक लघु अंश है जिनकी विशेषताऐं, उद्देश्य, लाभ प्रत्येक भारतीय को जानना चाहिए और लोगों को इसकी जानकारी देनी चाहिए ताकि भारत का चर्तुमुखी विकास ओर प्रगतिशील एवं विश्व बाजार में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो सकें।

लोकतांत्रिक सरकार में कई पाटियां अपना भाग्य लेकर आती है। भारतीय जनता पार्टी 2014 ई0 में सरकार गठन के बाद 2016, 2017 से महिला मंडल, जनसतावदी, कार्यक्रम आयोजित, रेलवे स्टेशन, पोर्ट, शिक्षक संस्थान का नाम पंडित दिन दयाल उपाध्याय के नाम पर रखे।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के उद्देश्य (P.D.D.U.G.K.Y.):–

उपर्युक्त योजना के माध्यम से ग्रामीण युवा को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना, वित्त पोषण, रोजगारोन्मुख करना, रोजगार स्वामी बनाना, विदेशों में रोजगार पाने के लिए प्रेरित करना, डेमोग्राफिक सरप्लस को डेमोग्राफिक डेविडेन्ड में बदलने के लिए एक ऐतिहासिक अवसर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से संभव है।

- पंडित दीन दयाल योजना के तहत् ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को कई प्रकार की विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान की जाएगी।
- प्रशिक्षण सम्पूर्ण होने के पश्चात् युवाओं को प्रमाण पत्र भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- प्रशिक्षण पूर्णोपरांत प्राप्त प्रमाण पत्र के जरिए युवा भारत में कहीं भी जाकर रोजगार प्राप्त कर सकते है।
- पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रमीण कौशल विकास योजना से लाभ हेतु भारत सरकार के द्वारा कई जगह प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं।
- इस योजना में 200 से अधिक कार्यों को सम्मिलित कर लोगों को प्रशिक्षण प्रदान की जा रही है। रूचि के अनुसार प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए उन्मुख किया जा रहा है।
- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करना एवं ग्रामीण लोगों को बेरोजगारी से निजाद दिलाना और लोगों को उनके कौशल को निखारने के लिए जागरूक किया जाएगा। ऐसे नागरिक जो रोजगार के अवसर ढूंढते–ढूंढते थक गए हैं अब उन नागरिकों को विभिन्न कौशल का प्रशिक्षण कर कार्यों में निपुण किया जायेगा।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना (P.D.D.U.G.J.Y.):–

20 नवम्बर, 2014 को प्रारम्भ की गयी। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत को रोश्नी से जगमग कराना है और गैर फीडर के माध्यम से समुचित बिजली का प्रबन्ध कर फसलों की उत्पादकता को बढ़ाया जाना है ताकि किसान वर्षा पर निर्भर न रहें एवं फसलों के उत्पादन का उचित मूल्य उन्हें प्राप्त हो सकें।

(P.D.D.U.G.J.Y.) के लाभ :–

- सभी गांवों और घरो का विद्युतीकरण करना।
- कृषि उपज में वृद्धि।
- छोटे और घरेलु उद्यमों के विकास के परिणामस्वरूप रोजगार के नए अवसर सृजन करना।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग (एटीएम) सेवाओं में सुधार लाना।

- रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, इंटरनेट और मोबाईल के पहुँच में सुधार लाना।
- बिजली की उपलब्धता के कारण सामाजिक सुरक्षा में सुधार लाना।
- स्कूलों, पंचायतों, अस्पतालों और पुलिस स्टेशनों में बिजली की पहुँच सुढ़ढ़ करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक विकास के अवसरों को बढ़ाना।

पंडित दीनदयाल अन्त्योदय योजना (P.D.D.A.Y.) :–

दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (H.U.P.A.) के तहत शुरू किया गया था। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (N.U.L.M) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (N.R.N.M) का एकीकरण है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (N.U.L.M)को दीनदयाल अंत्योदय योजना, (D.A.Y.N.U.L.M.) और हिन्दी में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से जाना जाता है।

शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और जोखिम को कम करने के लिए लाभकारी स्वरोजगार कुशल मजदूरी के अवसर एवं अन्य सेवाओं से लैस आश्रय प्रदान कर जीवीकोपार्जन के लिए प्रेरित करना ही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का मूल उद्देश्य है।

पंडित दीन दयाल अन्त्योदय योजना (P.D.D.A.Y.) की विशेषताएँ :–

- **रोजगार का माध्यम : कौशल प्रशिक्षण और स्थापन –** इस योजना के तहत् शहरी गरीबों को प्रशिक्षित कर कुशल बनाने के लिए 15 हजार रुपये का प्रावधान है। पूर्वोत्तर और जम्मू–कश्मीर के लिए प्रति व्यक्ति 18 हजार रुपये का प्रावधान है। इसके अलावा, शहर आजीविका केंद्रों के जरिए शहरी गरीबों को बाजारोन्मुख कौशल में प्रशिक्षित करने की बड़ी मांग को पूरा किया जाना है।
- **एकजुट समाजिकता और संस्थागत विकास :–** इस योजना के माध्यम से सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का गठन किया जाना है, जिसमें प्रत्येक समूह को 10,000/– रुपये की प्रारंभिक सहायता एवं पंजीकृत क्षेत्रों के स्तर से महासंघों को 50,000/– रुपये की सहायता राशि प्रदान करना है।।
- **शहरी गरीबों को सब्सिडी :–** सूक्ष्म उद्यमों (माइक्रो/इंटरप्राइजेज) और समूह उद्यमों (ग्रुप इंटरप्राइजेज) की स्थापना के जरिए स्व–रोजगार को बढ़ावा देना है। इसमें व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए 2 लाख रुपयों तक की ब्याज सब्सिडी और समूह उद्यमों पर 10 लाख रुपयों तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान करना इस योजना की विशेषताओं में से एक है।
- **शहरी निराश्रय के लिए आश्रय :–** शहरी बेघरों के लिए आश्रय के निर्माण की लागत योजना के तहत पूरी तरह से वित्त पोषित है।
- **अन्य साधन :–** बुनियादी ढांचे की स्थापना के माध्यम से विक्रेताओं के लिए विक्रेता बाजार का विकास और कौशल को बढ़ावा और कूड़ा उठाने वालों और विकलांगजनों आदि के लिए विशेष परियोजनाएँ दीन दयाल अन्तोदय योजना के अंतर्गत है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना (P.D.D.U.S.J.Y.):–

भारत के आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 अक्टूबर, 2014 को पंडित दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का विज्ञान भवन में शुभारंभ करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए श्रम की जरूरत है। हमने आज तक श्रम को उचित दर्जा नहीं दिया है। हमें अब श्रमिकों के प्रति दृष्टिकोण बदलना होगा। हमारा श्रमिक श्रम योगी है और उनके अनुसार सत्य मेव जयते जितनी ताकत श्रमेव जयते में भी है। हमें श्रमिकों को सम्मान देने की आवश्यकता है।

हमें श्रमिकों की समस्याओं को श्रमिकों की आंखों से देखना होगा, ना कि उद्योगपतियों की आंखों से। उन्होंने कहा कि आज देश के पास नौजवानों की बहुत बड़ी फौज है। आईटीआई तकनीकी शिक्षा का मंदिर हैं। आईटीआई के होनहार छात्रों एवं कागजी पढ़ाई में पिछड़ने वालों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

इससे पहले देश में औद्योगिक विकास के अनुकूल माहौल तैयार करने के साथ–साथ श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएफ ग्राहकों के लिए यूनिवर्सल एकाउंट नम्बर समेत कई योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने दक्षता विकास व श्रम सुधारों से संबंधित दीन दयाल उपाध्याय **'श्रमेव जयते कार्यक्रम'** की शुरूआत की। श्रम, रोजगार, इस्पात, खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री जी के ''मिनीमम गवर्नमेंट, मैक्सीमम गवर्नेंस'' की दूरदर्शिता को हासिल करने की दिशा में साहसिक कदम बताते हुए कहा कि मंत्रालय के सभी कार्यो का उद्देश्य व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता एवं गति लाना है। श्री तोमर ने बताया कि भारत की अनुकूल भौगोलिक स्थिति से होने वाले फायदे की कल्पना और देश में व्यवसाय की सुविधा के साथ संसद में तीन विधेयक लाये जा चुके है। एपरेंटिस अधिनियम के लागू होने पर प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ेगी। श्री तोमर ने कहा कि सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय के लिए एक अधिनियम लाने और देश से बाल श्रम को समाप्त करने के लिए संशोधन विधेयक लाएगी।
पंडित दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, कर्नाटक, मेघालय, पुदुच्चेरी सहित 20 से अधिक राज्यों के श्रम, स्वास्थ्य और तकनीकी शिक्षा मंत्रियों ने भाग लिया।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना (P.D.D.U.S.Y.):–

भारत सरकार समय की आवश्यकतानुसार कई नयी–नयी योजनाएं प्रदान की है। भारत में विभिन्न आर्थिक स्तर के लोग निवास करते है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को विभिन्न शर्तो के साथ योजनाओं की आवश्यकता पड़ती है। देश के ग्रामाचंल के विकास के लिए सरकार अधिक ध्यान केन्द्रीत कर रही है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गयी योजना है, जो ग्रामांचलों के लोगों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना के उद्देश्य :–

स्वनियोजन योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने ऐसी योजना बनाई है, जिससे देश से बेराजगारी की समस्या कम की जा सकें।

- लोगों को स्वरोजगार के लिए स्किल सेट उपलब्ध कराना। ग्रामीण शहरों में स्वरोजगार करने वाले को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- ग्रामीण शहरों में स्वरोजगार करने वालों को इस येाजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान करना।
- इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इंटरप्रेन्योर के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना।
- आत्मनिर्भर बनने हेतु अवसर की तलाश कर रहे लोगों को इस योजना में सरकारी सहायता उपलब्ध कराना।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना के विशेषताएँ:–

- किसी भी जाति, धर्म के लोग इस योजना में आवेदन दे सकते है।
- सरकार द्वारा स्वरोजगार करने वालों को रोजगार प्रारंभ करने हेतु ऋण उपलब्ध करायेगी।
- भारत सरकार द्वारा संचालित मुद्रा लोन को इस योजना में सम्मिलित किया गया है जिससे लोगों को लोन आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
- स्वरोजगार के लिए ग्रामीण गरीब लोगों को आर्थिक सहायता सुनिश्चित करना।
- सरकार ने इस योजना के लिए विभिन्न बैंक एवं आर्थिक संस्थान के द्वारा मुद्रा लोन के माध्यम से गॉव के गरीब लोगों के आर्थिक स्थिति सुधाराने का प्रयास की जा सकेगी।

पंडित दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना (P.D.D.B.P.Y.) :–

विकलांगों/दिव्यागों को समाज में समान स्तर के अवसर, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना की शुरूआत 1999 ई0 में की गई।

स्वंय सहायता समूहों **(NGOS)** के सहयोग से स्कूलों से ही विकलांगता की पहचान अनुरूप सहायता राशि और प्रशिक्षण प्रदान की जा रही है जिससे जीवन में आने वाले मुश्किलों का सामना वे डट कर और आसानी से कर सकें। जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में भी सहयोग प्रदान किया जाता है, ताकि एक विकलांग भी सामान्य जीवन यापन कर सकें।

दीन दयाल डिसेब्ल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम के तहत जागरूकता फैलाने और विकलांगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से समय–समय पर सम्मेलनों का आयोजन कर दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना में आई प्रगति की समीक्षा करना, रूकावटों का दूर करने के बारे में विचार–विमर्श किया जाता है। शिक्षा, रोजगार और व्यापार में मदद की जाती है एवं जरूरी पड़ने पर ट्रेन एवं बस के पास भी निर्गत किये जाते हैं।

(P.D.D.B.P.Y.) योजना का उद्देश्यः–

विकलांग/दिव्यांग लोगों के लिए समान अवसर और अधिकारों का संरक्षण अधिनियम के प्रभावी क्रियानवन् को सुनिश्चित करने के लिए दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना का संचालन 1999 ई0 में शुरू किया गया। इस योजना के तहत् हर साल लगभग 600 से अधिक एनजीओ को 35,000 – 40,000 रुपैय की राशि विकलांग के पुनर्वास के लिए अपनी परियोजनाएं चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

केन्द्र सरकार अपनी ओर से 90 प्रतिशत तक की अनुदान राशि प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से विकलांगो/दिव्यांगों के लिए शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय के अवसर उपलब्ध कराना है।

पंडित दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना (P.D.D.G.R.Y.) :–

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षित बेराजगार नव युवकों का शहरों की ओर पलायन को रोकने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गॉव में ही उपलब्ध कराना P.D.D.G.R.Y. का मुख्य अंश है। 'एक जनपद एक उत्पाद' योजनान्तर्गत स्थापित उद्योगों को नवीन तकनीक के साथ–साथ उनकी वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति सृदृढ़ करने के निहितार्थ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से पंडित दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना की संरचना की गयी है। पंडित दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित/स्थापित इकाईयों को ब्याज उपादान की सुविधा दी जायेगी, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में तीनों एजेन्सियों क्रमशः जिला उद्योग केन्द्र, खादी एवं ग्रमोद्योग आयोग तथा उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग रोजगार योजना लागू की जायेगी। उ0 प्र0 के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान वित्तीय वर्ष से क्रियान्वित होगी।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना (P.D.D.U.G.R.Y.) :–

- पंडित दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना उत्तर प्रदेश के जनपदों में बढ़ती बेराजगारी को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी।
- पंडित दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की वित्तपोषित इकाईयों को परियोजना लागत से मार्जिनमनी सब्सिडी एवं उद्यमी अंशदान को घटाने के बाद अवशेष ऋण धनराशि पर ब्याज उपादान (अधिकतम 13 प्रतिशत तक) की सुविधा ऋण के प्रथम वितरण की तिथि से तीन वर्षो तक प्रदान की जायेगी।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PRSK) में लागत अधिक होने से सामान्यतः इकाईयाँ बीमार हो जाती है तथा रोजगार प्रदान नहीं कर पाती है। इस योजना के द्वारा ऐसी सम्भावनाओं से निजात मिलेगी तथा भविष्य में स्थापित इकाईयाँ सृदृढ़ होगी एवं रोजगार का अत्याधिक विकल्प बढ़ेगा।
- पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना (P.D.D.U.G.R.Y.) की सारी प्रक्रियाएँ चालू वित्तीय वर्ष से ऑनलाईन के माध्यम से होगी।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना (P.D.D.U.G.R.Y.) लाभः–

- पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना (PDDUGRY) के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराना।
- वित्त पोषण हेतु लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष तक मान्य होगी।
- आवेदकों को बैंक की सहायता से 50.00 लाख तक का लोन पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना (PDDUGRY) के द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना (PDDUGRY) के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर, आधार कार्ड की प्रति, शैक्षणिक योग्ता प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र (प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों के लिए), प्रस्तावित योजना की रूपरेखा, कार्य स्थल संबंधी अभिलेख एवं फोटो आदि अनिवार्य है।

- पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना (PDDUGRY) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार ऋणदाता बैंक द्वारा अभिलेख पूर्ण कराकर ऋण स्वीकृत एवं वितरित की जाऐगी।
- ट्रेजरी से सीधे आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ऋणदाता बैंकों को भुगतान पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना (PDDUGRY) के माध्यम से सम्पन होगा।

उत्तराखंड पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना (U.P.D.D.U.S.K.K.Y.) :–

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी ने दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करते हुए योजना के तहत् लघु, सीमान्त एवं गरीब किसानों को मुहैया कराये जाने वाले विभिन्न लाभों पर प्रकाश डाला। पहाड़ों में किसानों की आय में वृद्धि करने, तथा मिश्रित खेती करने के लिए योजना के तहत् लाभान्वित किया जाऐगा। जिला मुख्यालय पौड़ी में ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। पलायन आयोग की रणनीति के तहत् पहाड़ के भौगोलिक बनावट के आधार पर उसे विकसित किया जाना है। कृषि ऋण योजना के अंतर्गत, छोटे और सीमांत किसानों और सीमा क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को सरकार केवल 2 प्रतिशत ब्याज दर पर एक लाख रुपये तक के आसान ऋण उपलब्ध करायेगी।

उत्तराखंड पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना (U.P.D.D.U.S.K.K.Y.) के उद्देश्यः–

- उत्तराखंड पंडित दीन दयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना (U.P.D.D.U.S.K.K.Y.) का मुख्य उद्देश्य सीमांत किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर 1 लाख रुपये तक का कृषि ऋण उपलब्ध कराना एवं स्थानीय साहूकारों द्वारा महंगी ब्याज दरों से निजाद दिलाना।
- उत्तराखंड पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना (U.P.D.D.U.S.K.K.Y.) के प्रयास से केन्द्र सरकार के साल 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त कर पायेगी।
- उत्तराखंड पंडित दीन दयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना (U.P.D.D.U.S.K.K.Y.) के माध्यम से इच्छुक किसान ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित छोटी इकाईयां लगाकर आजीविका चला सकती है।

उत्तराखंड पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना (U.P.D.D.U.S.K.K.Y.) के लाभः–

- उत्तराखंड सरकार 1 लाख रुपये तक के कृषि ऋण मुहैया करायेगी।
- ऋण राशि का पुर्नभुगतान करने का समय 3 वर्ष की अवधि के भीतर करना होगा।
- अधिक आय अर्जित करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
- यह योजना मिश्रित खेती को भी बढ़ावा देगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपनी आजीविका बनाए रख सकते हैं और कर्ज के जाल से राहत भी पा सकते हैं।

राजस्थान पंडित दीन दयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना (R.P.D.D.U.W.N.T.Y.Y) :–

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया जी ने राज्य के बुजुर्गों के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ इसी योजना के अन्तर्गत किया जिससे बुजुर्गों एवं उनके बच्चों को भी पैसे मुहैया करवाकर उनके सपनों को साकार किया जायेगा एवं सब बुजुर्ग को हवाई यात्रा के माध्यम से तीर्थयात्रा करवाया जायेगा।
राजस्थान दीन दयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से राजस्थान के मूल निवासी एवं वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर देश में स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु राजकीय सुविधा एवं सहायता प्रदान करने का उद्देश्य है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना (P.D.D.U.W.N.Y.Y.) की विशेषताएँ :–

- इस योजना के तहत् राजस्थान सरकार 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक यात्राएं प्रदान करेगी। ये यात्राएं रेल (Train) या हवाई जहाज (Aeroplane) के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। राजस्थान

सरकार ट्रेन के माध्यम से यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 3,000 रुपये और हवाई जहाज के माध्यम से यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 7,500 रुपये प्रदान करेगी।

- राज्य सरकार वर्ष 2018 में, ट्रेनों के माध्यम से जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम, द्ववारकापुरी, तिरूपति और वैष्णो देवी के दर्शन में सहयोग की 17 अन्य पवित्र स्थान हैं जहाँ हवाई यात्रा के माध्यम से दर्शन हेतु प्रतिबद्ध है।

Acknowledgement-

Authors are very grateful to V.C , T.M.B.U , Bhagalpur, P.G Head Dept. of History, T.M.B.U, for their moral support and valuable suggestions. Author acknowledges Sri Navin Chandra Jha and Sri Prasant Kumar (office Assistant) of T.M.B.U, for immense support and Sri Bicky Kumar Sinha (B.K. Computer, Sahibganj), Sri Rajiv Kumar (Law Student) for typing and Sri Dhiraj Kumar (BCA Student) , Sri Prateek Mohan Mishra (M.Sc, student), Sahibganj College, Sahibganj for their enormous support and literature survey.

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. https://www.india.gov.in/hi/spotlight/ दीन दयाल–अंत्योदय–योजना
2. https://pmmodiyojana.in/dindayal-upadhyay-gramin-koshalya-yojana/
3. https://www.india.gov.in/hi/spotlight/ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
4. https://sarkariyojanaye.com/dindayal-upadhyay-gramin-yojana
5. https://economictimes.indiatimes.com/hindi/wealth/rina/what-is-stand-up-idia-scheme-howto-take-loan-under-it/articleshow/77106673.cms?from=mdr
6. https://pmmodiyojana.in/deen-dayal-upadhyaya-gram-jyoti-yojana/
7. https://www.india.gov.in/hi/spotlight/ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
8. https://hi.wikipedia.org/wiki/ मेक इन इंडिया
9. https://economictimes.indiatimes.com/hindi/wealth/personal-finance/make-in-india-projectmodi-govt-what-you-need-to-know/articleshow/80784849.cms?from=mdr
10. https://www.india.gov.in/hi/spotlight/मेक इन इंडिया
11. https://www.pmindia.gov.in/hi/news_updates/ पंडित दीन दयाल उपाध :म्2:80:8क्याय2/
12. https://hi.vikaspedia.in/social-welfare
13. https://www.aajtak.in/india/news/story/deen-dayal-upadhyay-birthday-anniversary-bjpnarendra-modi-central-government-1135297-2020-09-25
14. https://www.freeonlineindia.in/deen-dayal-upadhyaya-swaniyojan-yojana-hindi**स्वनियोजन योजना**
15. https://www.abplive.com/news/india/assistance-to-the-differently-abled-under-thedeendayal-disabled-rehabilitation-scheme-1764660
16. https://hi.vikaspedia.in/social-welfare/92c93e92793e91794d93093894d924
17. https://www.hindiyojana.in/uttar-pradesh-pandit-deen-dayal-gyamodyog-rozgar-yojana/
18. https://www.yojanagyan.in/up-pt-deendayal-gramodyog-rozgar-yojana-application-formin-hindi/
19. https://www.hindischeme.in/deen-dayal-sahkarita-kisan-kalyan-yojana/
20. https://www.readermaster.com/deendayal-upadhyay-kisan-kalyan-yojana/
21. https://www.enterhindi.com/beneficiary-list-of-deendayal-upadhyaya-varisth-nagrik-tirthyatra-yojana-2018/
22. https://www.hindiyojana.in/deendayal-upadhyaya-varistha-tirth-yojana-rajasthan/
23. https://www.readermaster.com/rajasthan-varisth-nagrik-tirth-yatra-yojana/